(1)
55

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

6246–6278

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12)भामाशाह/पे.भौ.स./सान्याअवि/2014 जयपुर दिनांक ~~23.07.14~~ 28.07.14

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषय – **भामाशाह योजना नामांकन शिविरों के संबंध में।**

1. विषयान्तर्गत भामाशाह नामांकन के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्य जो किसी भी आयु के हों, का त्रुटिरहित डेटाबेस तैयार किये जाने के साथ साथ विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की त्रुटियां को भी दुरूस्त करने का कार्य किया जाएगा। भामाशाह नामांकन शिविर के दौरान **प्राप्त दस्तावेजो के आधार पर पेंशन योजनाओं के भौतिक सत्यापन के संबंध में निम्नांकित** त्रुटियां ध्यान में आ सकती है –

   (i) अपात्र आवेदको को स्वीकृतियां जारी करना
   (ii) एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न पीपीओ के आधार पर दोहरा स्वीकृति
   (iii) आवेदक के विवरण एवं पत्र व्यवहार के पत्ते में त्रुटियां, परिणाम स्वरूप मनीआर्ड पेंशनधारक तक नहीं पहुंच पाते

इस कम मे वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र कमांक एफ 5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/एसएसपी/14127–159 दिनांक 2.8.2013 एवं विभागीय पत्र कमांक 11510–550 दिनांक 12.8.2013 के द्वारा पूर्व में भी आपका ध्यान आकर्षित कराया गया था।

2. संभव है कि उक्त श्रेणी के पेंशनधारक नामांकन शिविर के दौरान **उपस्थित नहीं हो या कम संख्या में उपस्थित हों। इस अनुपस्थिति/कम उपस्थिति से पेंशन** योजनाओं के संबंध में **शतप्रतिशत सत्यापन नहीं हो पायेगा।** इस बाबत आपको विशेष ध्यान देकर समस्त पेंशन धारको की नामांकन शिविर में शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे। प्रयासों के संबंध में कतिपय निम्नानुसार कदम भी उठाये जा सकते है –

   1. पेंशनधारको की ग्रामवार व वार्डवार सूची संबंधित गांव / वार्ड में चस्पा करना
   2. ग्राम पंचायतो की बैठक में संबंधित वार्ड सदस्यों को सूची उपलब्ध कराना व बैठक में प्रभावी चर्चा करना
   3. शहरी निकाय के वार्डो में सूची चस्पा कराना
   4. सत्यापनकर्ता ग्राम सेवक एवं पटवारी को सूची उपलब्ध कराना ताकि संबंधित द्वारा व्यक्तिगत संपर्क के प्रयास किये जा सके
   5. व्यापक प्रचार प्रसार

3. उक्त के संबंध में डाक विभाग द्वारा कोष कार्यालय को लौटाये गये मनीआर्डर, विभिन्न स्तरो पर प्राप्त अभाव अभियोगो के माध्यम से त्रुटियों के संबंध में प्राप्त फीडबेक को भी आधार माना जाना उचित होगा। पेंशनधारको की ग्रामवार व शहरी निकायवार सूचियां विभागीय वेबसाईट rajssp.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

4. कृपया पेंशनधारको के भौतिक सत्यापन की शतप्रतिशत उपलब्धि के प्रयास किये जाए ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यवाही संपादित हो सके।

(डॉ. मनजीत सिंह) 26/7/14
प्रमुख शासन सचिव

C:\Users\ADSCSP\Desktop\U.O.Note.docx

56

6279-6320

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12)भामाशाह / पे.भौ.स. / सान्याअवि / 2014 जयपुर दिनांक 23.07.14 28.07.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन सचिव (आयोजना) जयपुर
2. शासन सचिव, स्वायत शासन / पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर
5. निजी सहायक, आयुक्त, सान्याअवि, जयपुर
6. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान
7. समस्त–उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
8. कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपलोड करने बाबत।

आयुक्त

C:\Users\ADSCSP\Desktop\U.O.Note.docx

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12)भामाशाह/पे.भौ.स./सान्याअवि/2014 6321-6353 जयपुर दिनांक 23.07.14 28.07.14

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषय – भामाशाह योजना – 2014 के संबंध में।

1. आयोजना विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/29279 दिनांक 18.7.2014 में भामाशाह योजनान्तर्गत राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के नाम बैंक खाता हो तथा बैंक खाता महिला के नाम से हो, के साथ साथ नामांकन शिविरों में परिवार के अन्य सदस्य जो व्यक्तिगत लाभ की किसी सरकारी योजना के लाभ की पात्रता जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृति इत्यादि में रखता हो, की दशा में पृथक बैंक खाता भी खुलवाये जाने की कार्यवाही कर ऐसे सदस्य को **भिन्न रंग का नामाकान कार्ड जारी** करने के निर्देश दिये गये है, जैसा कि विवरण परिपत्र के बिन्दु संख्या 12 (iv) में वर्णित है। इस श्रेणी के बैंक खाते को भी महिला के बैंक खाते से लिंक किया जा सके।
2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभ की निम्नानुसार योजनाए है, जिनके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है –

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विशेष योग्यजन	बाल अधिकारिता
(i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं	विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना	समेकित बाल संरक्षण योजना
(ii) उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना	आस्था कार्ड योजना	पालनहार योजना
(iii) नशामुक्ति कार्यकम	एकमुश्त अनुदान राशि योजना	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना
(iv)सहयोग योजना	संयुक्त सहायता अनुदान योजना	
(v)अन्तर्जातीय विवाह योजना	अनुप्रति योजना	
(vi)विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर [सहा]यता योजना	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	
(vii) विधवा पुर्नविवाह उपहार योजना	शिक्षण एवं पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण योजना	
(viii) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा) योजना	सुखद दाम्पत्य जीवन योजना	
(ix)मुख्यमंत्री असहाय पुर्नवास योजना	मोटराईज्ड ट्राई साईकिल योजना	
(x) अनुप्रति योजना	विशेष योग्यजन पेंशन योजना	
(xi) अन्य पिछडा वर्ग निगम लि. द्वारा संचालित ऋण एवं अनुदान योजनाएं		
(xii)राज.अनु.जाति. लि., द्वारा संचालित ऋण एवं अनुदान योजनाएं		
(xiii)अनु.जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पीडित व्यक्ति को सहायता योजना		
(x)पहल योजना		

C:\Users\ADSCSP\Desktop\U.O.Note.docx

3. विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजना के संबंध में सम्पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. मनजीत सिंह) 26/7/14
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :-- एफ 9 (5) (12)भामाशाह / पे.भौ.स. / सान्याअवि / 2014 6354-6397
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु – जयपुर दिनांक 23.07.14 28.07.14

1. शासन सचिव (आयोजना) जयपुर
2. शासन सचिव, स्वायत शासन / पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त, सान्याअवि, जयपुर
4. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान
5. निदेशक, विशेष योग्यजन, जयपुर
6. निदेशक, बाल अधिकारिता ,जयपुर
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर
9. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी समस्त राजस्थान
10. कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपलोड करने बाबत।

आयुक्त

C:\Users\ADSCSP\Desktop\U.O.Note.docx

(2)
57

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

6398-6430

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12)भामाशाह/पे.भौ.स./सान्याअवि/2014 जयपुर दिनाक 23.07.14

28.07.14

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषय –– भामाशाह नांमाकन शिविरों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन बाबत।

आयोजना विभाग के परिपत्र कमांक एफ 17 (1)/1/भामाशाह/बीआईएस/2014/29279 दिनांक 18.7.2014 के कम में निम्नांकित अनुसार ग्रामीण क्षै. के लिए ग्राम सेवक एवं शहरी क्षैत्र के लिए पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जानी है –

(i) पेंशनधारक की आयु का सत्यापन दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा।

(ii) पेशनधारक की वार्षिक आय के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी।

(iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्तता पेंशन प्रकरणो में नवीनतम प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(iv) पेंशनधारक के स्वंय, पत्नि/पति या पुत्र के राजकीय सेवा/राजकीय उपकम में सेवारत नहीं होने या राजकीय पेंशनर्स नहीं होने की भी जांच की जाएगी।

उक्त जांच के पश्चात वर्णित परिशिष्ठ 11 के अनुसार में भौतिक सत्यापन किया जाकर नामाकन शिविर के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं/दस्तावेज के आधार पर **प्रपत्र अ** में सूचना तैयार की जानी है। **उक्त के संबंध में विभाग द्वारा जारी किये गये निम्नांकित आदेशो की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है –**

अ– आयु के संबंध में

- स्कूल प्रमाण पत्र
- नगर पालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम, पंचायत् द्वारा संधारित जन्म रजिस्टर/ जन्म प्रमाण पत्र
- लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली
- पेंशनर के लिखित अभिकथन एवं उस पर दो गवाहों का समर्थन प्राप्त आवदन पत्र की जाच के पश्चात उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- ग्रामीण क्षैत्र के लिए ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं शहरी क्षैत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिस्ट
- जन्म तिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की दशा में – एक से अधिक उपलब्ध अभिलेख होने पर– जिस अभिलेख में आयु अधिक दर्शायी गयी है उसे आयु माना जाकर उस वर्ष की 30 जून का आयु मानी जाकर जन्म तिथि 1 जुलाई मानी जायेगा

ब– आय के संबंध में

- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के अनुसार आय से अभिप्रेत है –

वृद्वावस्था एवं विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन के मामलें में "आय" से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वंय एवं पत्नि/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नही हो अथवा प्रार्थी एव पत्नि/पति की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रावधान नहीं हो।

- विभाग द्वारा जारी आदेश अनुरूप – आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारूप एसएसपी 1 का भाग iv एवं भाग v में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा। "

नोट –

(i) यदि आवेदक बीपीएल/अन्तोदय/आस्था/कार्डधारी परिवार का सदस्य हो अथवा सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति का हो, तो आवेदक को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) विशेष योग्यजन पेंशन नियमों में वार्षिक आय 60000/– तक मानी गई है।

<u>स–परित्यक्ता प्रमाण पत्र</u>

- परित्यक्ता पेंशन प्रकरणों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए – सरपंच, ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगर निकाय का अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड मेम्बर /वार्ड पार्षद तथा पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर <u>उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाण पत्र</u>

26/7/14

(डॉ. मनजीत सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

6431-6472

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12)भामाशाह/पे.भौ.स./सान्याअवि/2014 जयपुर दिनांक ~~23.07.14~~ 28.07.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन सचिव (आयोजना) जयपुर
2. शासन सचिव, स्वायत शासन/पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर
5. निजी सहायक, आयुक्त, सान्याअवि, जयपुर
6. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान
7. समस्त–उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
8. कम्प्यूटर प्रोग्रामर अपलोड करने बाबत।

आयुक्त

C:\Users\ADSCSP\Desktop\U.O.Note.docx